कार्यालय कलेक्टर (जिला ई–गर्वनेंस सोसायटी) जिला आगर–मालवा(म.प्र.)

क्रमांक / 1086 / जिला ई–गर्व. / 2018 आगर–मालवा,दिनांक 15 / 08 / 2018

विज्ञप्ति

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेप आईटी भोपाल का पत्र क्रमांक मैप आईटी / DeGs / 2018 / 690 दिनांक 04.08.2018 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिले में संचालित ई–दक्ष केन्द्र में प्रशिक्षण संचालन हेतु अस्थाई तौर पर अतिथि व्याख्याता की सेवाऐं ली जाना है। वर्तमान में ई–दक्ष केन्द्र में म.प्र. शासन द्वारा नवनियुक्त पटवारी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया जाना है। जिला आगर मालवा में 02 अतिथि व्याख्याताओं की सेवाऐं लिया जाना है। अतिथि व्याख्याताओ हेतु मानदेय रूपये 15000 /– प्रतिमाह निर्धारित रहेगा । अतिथि व्याख्याताओं के लिये निम्नानुसार न्यूनतम योग्यताए होना आवश्यक है:–

1. बी.ई.(कम्प्युटर सांइस / आई.टी.) / बी.टेक.(कम्प्युटर सांइस / आई.टी.) / बी.एस.सी.. (कम्प्युटर सांइस / आई.टी.) / बीसीए / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक समकक्ष योग्यता।

   अथवा

   मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अन्य संकाय में पूर्णकालिक स्नातक+मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA या NIELIT से ए लेवल प्रमाण पत्र।

2. न्यूनतम अर्हतादायी योग्यता उपरांत मान्यता प्राप्त आईटी / आईसीटी प्रशिक्षण केन्द्र / महाविद्यालय / उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / अन्य संस्थान में आई टी प्रशिक्षण / आईटी अध्यापन में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य।

उपरोक्तानुसार इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में दिनांक 17 / 08 / 2018 तक जिला ई–गर्वनेंस कार्यालय में आवेदन पत्र मय सह दस्तावेज जमा कर सकते है। आवेदन पत्र जिला आगर मालवा की वेबसाईट www.agarmalwa.mp.gov.in से भी प्राप्त कर सकते है।

संलग्नः– आवेदन पत्र का प्रारूप।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला ई–गर्वनेंस सोसायटी
जिला आगर–मालवा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 1087 / जिला ई–गर्व. / 2018 आगर–मालवा,दिनांक 15 / 08 / 2018

प्रतिलिपीः–

सहायक संचालक जनसंपर्क जिला आगर मालवा की ओर स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करे

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला ई–गर्वनेंस सोसायटी
जिला आगर–मालवा(म.प्र.)

ई–गर्वनेंस सोसायटी जिला आगर मालवा अंतर्गत ई–दक्ष केन्द्र के संचालन हेतु अस्थाई तौर पर अतिथि व्याख्याता के लिए नियम एवं शर्ते

1. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं पूर्णतः अस्थाई एवं अंशकालीन है।
2. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं आगामी आदेश तक ही प्रभावशील रहेगी। अतिथि व्याख्याता की सेवाए किसी पद के विरूद्व नियुक्ति नही है अतः जिला ई–गवर्नेस सोसायटी आगर मालवा द्वारा कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है जिस पर किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति अतिथि व्याख्याता द्वारा प्रस्तुत नही किया जा सकेगा।
3. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं के दौरान 15000/– के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य मानदेय भुगतान नहीं किया जावेगा।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाओ के दौरान शासकीय अवकाश को छोडकर अन्य किसी भी प्रकार की अवकाश की पात्रता नही होगी। अवकाश पर जाने पर उस दिवस का मानदेय भुगतान नही किया जावेगा।
5. अतिथि व्याख्याता को प्रशिक्षण की अवधि एवं आवश्यकता के अनुरूप कार्य करना पडेगा एवं ई गवर्नेस सोसायटी द्वारा समय–समय सौपे गए कार्यो का संपादन करना होगा।
6. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों (शैक्षणिक योग्यता एवं आई.टी प्रशिक्षण/अध्यापन कार्य अनुभव एवं मूल निवास प्रमाण पत्र) स्व–प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. अभ्यर्थी अतिथि व्याख्याता पद पर चयनित होने पर 100 रू के नॉन जूडिशियल स्टॉप पर जिला ई गवर्नेस सोसायटी के साथ 03 दिवस के अंदर अनुबंध संपादित करना अनिवार्य होगा।
8. प्रत्येक अभ्यर्थी का शैक्षणिक योग्यता एवं आई.टी प्रशिक्षण/अध्यापन कार्य अनुभव के समस्त दस्तावेजो का परीक्षण किया जाकर समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जावेगा उपयुक्त अभ्यर्थी होने पर ही मार्किंग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
9. चयन उपरांत अतिथि व्याख्यता का कार्य संतोषजनक न पाये जाने/अनुशासनहीनता/कार्य मे लापरवाही की परिसथिति मे सेवा से पृथक किया जाकर साक्षात्कार की तैयार सूची अनुसार अन्य अभ्यर्थी की सेवाए प्राप्त की जा सकेगी एवं गलत दस्तावेज जमा करने की स्थिति मे कानूनी कार्यवाही भी की जावेगी।
10. आवेदन कार्यालीन दिवसो मे दिनांक 17.08.2018 सायं 05:00 बजे तक लिया जावेगा उसके उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. अतिथि व्याख्याता के पद हेतु प्राप्त आवेदनों में से उच्चतर योग्यता(बीई सीएस/आईटी) कार्य अनुभव मैप आईटी द्वारा सीपीसीटी प्रमाण पत्र एवं आगर मालवा जिले के स्थानीय निवासी योग्यताधारियो को प्रथम वरीयता दी जाएगी एवं 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा।
12. किसी भी प्रकार की विवाद की सिथिति मे कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई–गवर्नेस समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला ई–गर्वनेंस सोसायटी
जिला आगर–मालवा(म.प्र.)

ई–गर्वनेंस सोसायटी जिला आगर मालवा अंतर्गत ई–दक्ष केन्द्र के संचालन हेतु अस्थाई तौर पर अतिथि व्याख्याता के लिए आवेदन पत्र

फोटो

आवेदक का नाम ....

पिता / पति का नाम ....

माता का नाम ....

जन्म दिनांक ....

लिंग (महिला / पुरूष) ....

जाति वर्ग (अनारक्षित / अ.जा. / अ.जा.जा. / अ.पि.व.) ....

पत्र व्यवहार का पता ....

ई–मैल ....

मोबाईल नंबर ....

शैक्षणिक योग्यता

क्र	डिग्री / डिप्लोमा / अन्य का नाम	विषय / उपाधि का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विश्व विद्यालय / बोर्ड का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	ग्रेड
1	10 वी							
2	12 वी / डिप्लोमा							
3	स्नातक							
4	स्नात्कोत्तर							
5	कम्प्यूटर डिप्लोमा							
6	अन्य							

आई.टी प्रशिक्षण /.अध्यापन कार्य अनुभव

क्र	विभाग / फर्म का नाम	पद	नियुक्ति दिनांक	कार्य मुक्ति दिनांक	कुल अनुभव माह में

स्थान.........................

दिनांक.....................

आवेदक का हस्ताक्षर